न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 94/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/149

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
कानसिंह पुत्र हिंगलाजदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. कैलाशदान पुत्र वेणीदान जाति चारण निवासी रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली 2. ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली 3. ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सचिव) ग्राम पंचायत रेन्दड़ी तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री वासुदेव चारण, श्री कैलाश मकवाणा।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

—: निर्णय :—

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 91/79—80, प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.09.1986 एवं उसकी पालना में कैलाशदान पुत्र वेणीदान के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 22.11.1986 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायलय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता हिंगलाजदान ने ग्राम में स्थित नारायणसिंह पुत्र भोमदान के भूखण्ड को जरिये रजिस्टर्ड विलेख दिनांक 07.05.1973 के द्वारा अपने भाई अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से क्रय किया तथा एक अन्य भूखण्ड, जो कि परसाराम पुत्र नाथूराम के नाम से आबादी भूमि में स्थित है, को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 14.04.1977 के द्वारा प्रार्थी के पिता ने क्रय किया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य पेश कर प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा भूमि को सम्मिलित करते हुये अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। उपरोक्त समस्त खरीदसुदा भूखण्ड पर प्रारम्भ से ही प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा एवं मालिकाना हक स्थित है तथा पारिवारिक बंटवाड़े अनुसार भी प्रार्थी के दादाजी सहित अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य परिवारजनों द्वारा राजीखुशी प्रार्थी के पिताजी के बंट में दिया था, जिस पर अप्रार्थी

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

संख्या 1 का कोई हक हिस्सा निहित नहीं था। ग्राम पंचायत ने बिना कोई प्रस्ताव लिये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष न तो कोई आवेदन पेश किया, न ही कोई शुल्क जमा करवाई गई, न ही मिसल कायम की गई, न ही मौका देखा गया और न ही कोई आपत्तियाँ मांगी गई। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक कब्जा है तथा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि पर ही प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिनुसार आबादी भूमि में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी ने नियमानुसार आवेदन पेश किया, जिस पर भूमि का नक्शा तैयार कर पंचों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर पूरी प्रक्रिया अपनाते हुये पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 91/79–80, प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.09.1986 एवं उसकी पालना में कैलाशदान पुत्र वेणीदान के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 22.11.1986 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पिता की खरीदसुदा भूखण्ड को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी की खरीदसुदा भूमि पर ही प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण एवं तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 07.05.1973 के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के अनुसार कैलाशदान पुत्र वेणीदान द्वारा नारायणसिंह पुत्र भोमदान से एक भूखण्ड क्रय किया गया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में सूरजदान, दक्षिण दिशा में परशराम, पूर्व दिशा में मकान का मुख्य दरवाजा व रास्ता एवं पश्चिम दिशा में रास्ता अंकित है। इसके पश्चात् दिनांक 14.04.1977 के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के अनुसार हिंगलाजदान पुत्र वेणीदान, जो कि प्रार्थी के पिता है, के द्वारा परसराम पुत्र नाथूराम का भूखण्ड क्रय किया गया, जिसके सीमांकन में उत्तर दिशा में कैलाशदान, दक्षिण दिशा में हरीसिंह, पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गली अंकित है, जिसका माप उत्तर दिशा में 138 फुट, दक्षिण दिशा में 150 फुट, पूर्व दिशा में 32 फुट एवं पश्चिम दिशा में 30 फुट है। उक्त दोनों विक्रय विलेखों के पड़ौस का अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि कैलाशदान द्वारा क्रय किया गया भूखण्ड उत्तर दिशा में स्थित है तथा उसके ठीक दक्षिण दिशा में परसराम का भूखण्ड स्थित था, जिसे बाद में प्रार्थी के पिता हिंगलाजदान द्वारा क्रय किया गया तथा दोनों भूखण्ड एक पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है तथा एक दूसरे से भिन्न है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे का परीक्षण करने पर यह परिलक्षित होता है कि उक्त पट्टे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

में वर्णित सीमाएँ उत्तर दिशा में सूरजदान, दक्षिण दिशा में हरिप्रताप, पूर्व में रास्ता एवं दरवाजा तथा पश्चिम दिशा में गली रास्ता अंकित किया गया है तथा भुजाओं का नाप उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 140 फुट, पूर्व दिशा में 65 फुट व पश्चिम दिशा में 50 फुट तथा एक भू–पट्टी जिसका माप पूर्व व पश्चिम दिशा में 9 फुट एवं उत्तर व दक्षिण दिशा में 128 फुट अंकित है। जैर निगरानी पट्टे में वर्णित उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम दिशा के पड़ौस दिनांक 07.05.1973 के विक्रय विलेख में अंकित सीमाओं से सामंजस्य रखते हैं। प्रार्थी के अधिक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों विक्रय विलेख प्रार्थी के पिता द्वारा निष्पादित किये गये थे तथा प्रार्थी लम्बे समय से उक्त भूमि पर काबिज है किन्तु अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि एक विक्रय विलेख कैलाशदान के पक्ष में तथा दूसरा प्रार्थी के पिता के पक्ष में निष्पादित हुआ है, जो कि दो पृथक व्यक्तियों के सम्बन्ध में है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि दोनों भूखण्ड प्रार्थी के पिता द्वारा स्वअर्जित एक ही सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह विवादित जैर निगरानी भूखण्ड पर वास्तविक रूप से काबिज हो। इस प्रकार उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत पट्टे में वर्णित पड़ौस एवं माप प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड से मेल नहीं खाता हैं तथा प्रार्थी का यह कथन कि पट्टा उनकी खरीदी हुई भूमि पर जारी किया गया है, प्रमाणित नहीं होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, जो पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह् अंकित करता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि रिकार्ड के संधारण का कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1986 में जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन सपरंच एवं ग्रुप सचिव के हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे की प्रति पर रसीद संख्या का अंकन है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुश्त पर भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ौस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 1986 में पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत जारी किया गया था या पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 40 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् रिकॉर्ड के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है, वो भी उस स्थिति में जब अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य उज्र प्रमाणित नहीं हुआ हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधारक पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा मिसल संख्या 91/79–80, प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 21.09.1986 एवं उसकी पालना में कैलाशदान पुत्र वेणीदान के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 55 दिनांक 22.11.1986 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)